हरियाणा सरकार

क्षेत्र विश्व विभाग विभाग विभाग विभाग

्राक्त कि कि निप्र विकास में अधिसूचना शामतील के विकास है। (21)

मिलिक कि विनांक 27 मार्च, 1998 विनांक 27 सार्च, 1998

सं. सा.का.नि. 139/संवि./अनु. 309/98. -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग (गृप क तथा गृप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

भाग । सामान्य

सिंभप्त नाम तथा प्रारम्भ :

तया ज

- (1) ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग (गृप क तथा गृप ख) सेवा
 नियम, 1998. कहे जा सकते हैं ।
- (2) य नियम इनके राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
 - 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) "प्रशासनिक सचिव" से अभिप्राय है, सचिव हरियाणा सरकार, वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग;
 - (ख) 'मुख्य वन्य प्राणी वार्डन" से अभिप्राय है, मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा ;
 - (ग) "आयोग" से अभिप्राय है, लोक सेवा आयोग हरियाणा ;
 - (घ) "उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन" से अभिप्राय है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन ;
 - (ड) "मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त.मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी;
 - (च) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
 - (छ) "सरकार" से अभिप्राय हे, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार

Olo

- (ज) "संस्था" से अभिप्राय है,--
 - (i) हरियाणा राजय में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (झ) "उच्च स्नातक उपाधि" से अभिप्राय है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से वन्य प्राणी प्रबन्ध में संचालित उच्च स्नातक उपाधि ;
- (भ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,--
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय; या
 - (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घ्रोषित किया गया हो ;
- (ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा कार्यकारी (गृप क तथा गृप ख) सेवा।

भाग 11- सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कभी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने से सरकार के अन्तिनिद्धि अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

- 4. (I) कोई भा व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्निलिखित न हो,--
 - (क) भारत का नागरिकः; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा : या

- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युंगाडा तथा तंजानिया से संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रावासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ड) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

- (2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यावेत सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अंतिम उपस्थित के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षिणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों और उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भिल-भाति परिचित हों और जो उसके महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में ग्रुप क के किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को पंच्चीस वर्ष की आयु से कम तथा पैतालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो और कोई भी व्यक्ति ग्रुप ख में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम तथा पैन्तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

- क्षेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायंगी ।
 योग्यताएं :
- 7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से

अन्यथा की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में नियुक्त प्राधिकारी के विवेक पर, 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गी में, उनके लिए, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे। अयोग्यताएं :

- 8. कोई भी व्यक्ति,--
- THE RESERVE THE PROPERTY OF SECTION (S) THE (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सिवेदा की कर ली है। सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढ़ंग से की जायेगी:--गूप कः म ले एक सर्वेष्ट के कि मोह कि मान महिन्दी है।

- (क) मुख्य वन्य प्राणी की दशा में,--
 - (i) उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) मुख्य वन संरक्षक वन विभाग में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; नह में देशों पर विश्वीसंशे सर्वा
- (ख) उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन की दशा में,--
 - (i) मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारियों में से पदोन्नित द्वारा ; या
- ्रेस कर्ता (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या करावित के प्रकार के प्रिक्त कि तथ तीवी वह करा

भाग IV

हरियाणा सरकार

वन विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 31 अक्तूबर, 2005

हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग III, दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 139/ संवि०/ अनु० 309/98, दिनांक 27 मार्च, 1998 के मूल हिन्दी पाठ में.—

- 1. (i) प्रस्तावना में, ''हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, (ग्रुप-क तथा ख) सेवा'' के स्थान पर, ''हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ख) सेवा'' पढ़ा जाए;
 - (ii) नियम 1 में, उप-नियम (1) में ''हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, (ग्रुप-क तथा ख) सेवा'' के स्थान पर, ''हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ख) सेवा'' पढ़ा जाए ;
- 2. नियम 9 में, उप-नियम (1) में,-
 - (i) ग्रुप क में, खण्ड (क) में ''मुख्य वन्य प्राणी'' के स्थान पर, ''मुख्य वन्य प्राणी वार्डन'' पढ़ा जाए ;
 - (ii) ग्रुप ख में, खण्ड (ग) में ,
 - (क) ''वन्य प्राणी अधिकारी'' के स्थान पर, ''मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी'' पढ़ा जाए ;
 - (ख) उप-खण्ड (i) तथा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड पढ़े जाएं, ''(i) 50% मण्डलीय वन्य प्राणी निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या ।
 - (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; या" ।
- 3. नियम 11 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड पढ़ा जाए, :—
 - ''(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;''!

एल० एस० एम० सालिन्स, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग।

39921-C.S.-H.G.P., Chd.

(iii) उप वन संरक्षक या अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक वन विभाग में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 1 6 15#15 14 - offense 57 5F \$1 1805 95 (1)

गूप ख

- (AL) अपने केंद्रिय में किसी में किस (AL) (ग) वन्य प्राणी अधिकारी की दशा में,--
 - (i) मण्डलीय वन्य प्राणी निरीक्षकों में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
 - (2) सभी पदोन्नितयां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नित के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। परिवीक्षा ।
 - 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा,--
 - (क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पद व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि से गिनी जायेगी;
 - (ख) स्थानान्तरण द्वारा, किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अविध की ओर गिनने दी जा सकती है; और
 - (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
 - (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो,-
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से : विक्रिय कि विष्योगि .. अलग कर सकता है; और

- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--
 - (i) उसे उसंके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके संबंध में किसी अन्य ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसके पूर्व नियक्ति के निबंधन तथा शर्ते अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, --
- (क) यदि उसकी राय में, उसका आचरण संतोषजनक रहा हो तो,--
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से, पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढ़ंग से पूरी कर ली है ; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो, --
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उस सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें;
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है और उसके बाद आदेश क् सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था: परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

। क्षांत्र कि अन्तर का कि कि कि अन्तर का कि कि

परन्तु जहां सेवा के विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा, निश्चित ज्येष्ठता को परिवर्तित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,--

- क्र (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
 - पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुवितयों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निष्टिचत की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गी से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।
- (2) सेवा के किसी भी सदस्य को, सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त ेकिया जा सकता है:--
- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे यह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा, राज्य के भीतर नगर-निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे यह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो ; या छात्र मिल एक सार के करान के तरण अरह
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वातत्व निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैरसरकारी निकाय :

परन्तु सेवा की किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना, खण्ड (ii) तथा खण्ड (111) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य गामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट एप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अवीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनीई गई या उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायं ।

अनुशासनः शास्तियां तथा अपीलें। 🚃 अध्योत्ति । 😘 अध्यान

ा । (।) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मानलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशवत प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के सीवधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (i) के खण्ड ग या खण्ड व के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट व में विनिर्दिष्ट हैं।

दीका लगना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसे निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उतने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के सविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपक्षा की जायेगी !

ढील देने की अवित ।

17. जहां, सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारणं लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष्ट्र उपबन्ध ।

. 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यवि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये भये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गी, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करगी:

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशत किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति ।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों के अनुरूप इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू कोई नियम इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार से निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई जरिवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)

कुम	िप द नामे । ।	(5,6)	पदों की सं	ख्या 🥦	एकार अवस्थितनमान उन्हें पिन , जि. मिन्नार । वे. क्रिकार कर 100
संख्य	म् विकास समाप्तिक	स्थायी	अस्थायी	जोड़	
L	Ž	3	4	5	
		58-3	 ग्रुप क	1050777-10	on some der der des seine eine den den de
1	मुख्य वन्य प्राणी वार्डन	1		1	5900-200-6700
2	उप मुख्य वन्य प्राणी वार्डन	ie ja	्राप्त ख	शत स्था संस्थानित सन्दर्भाः	3000-100-3500-125-4500 समय वेतनमान 5 वर्ष तक और इसके बाद 3700- 125-4700-150-5000 रुपये
3	मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी		BUBB F	हैं नी _। कु राज्य इस मि	2000-60-2300-द.रो75-3200- 100-3500 रुपये समय वेतनमान 5 वर्ष तक और 5 वर्ष बाद 2200-75-2800-द.रो 100-4000 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7) सीधी भर्ती के लिये शिक्षणिक सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये योग्यताएं तथा अनुभव, यदि शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई संख्या व्यक्ति कि विकोई हो हो गुप क पदोन्नित द्वारा --मुख्य वन्य प्राणी (i) उप मुख्य वन्य प्राणी (1) वार्डन वार्डन के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; (ii) वन्य प्राणी प्रबन्ध में स्नातकोतर उपाधि 神 医 年 和 四 种 या स्थानातरण द्वारा । वन विभाग से मुख्य वन (2) संरक्षक की पदवी का कोई अधिकारी। पदोन्नति द्वारा - -(i) निम्नलिखित कोई 2 उप मुख्य वन्य (i) भग्रतीय वन्य प्राणीं संस्थान विषयों के साथ विज्ञान प्राणी वार्डन देहरादून से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम. एस. स्नातक : - from the property (1) सी. उपाधि संहित जीव विज्ञान/ (क) वनस्पति विज्ञान कृषि/वानिकी में स्नातकोतर (ख) जीव विज्ञान उपाधि; (ग) रसायन विज्ञान (ii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का (घ) भौतिक विज्ञान ज्ञान। (ङ) वानिका

(च) कृषि

करी के उनीहरी प्राप्त के तिल क्षण कर कर के हैं (11) मण्डलीय वन्य हुए प्राणी विकास प्रमुख कर क्रिकार कर विकास के कि प्रमुख कि प्राची अधिकारी के रूप में पांच ्र वर्ष, का अनुभव

या

स्थानान्तरण द्वारा ;

🥦 🎏 (iii) औरारिवत सहायक संरक्षक/सहायक संरक्षक के रूप में आठ वर्ष, का अनुभव

या

(iv) वन विभाग से उप वन संरक्षक ।

गुप ख

अधिकारी

मण्डलीय वन्य प्राणी (i) निम्नीलीखत में से किन्ही दो विषयों के साथ उपाधि :--

- (क) वनस्पति विज्ञान
- (ख) जीव विज्ञान
- (ग) रसायन विज्ञान
- (घ) भौतिक विज्ञान
- (ड) कृषि
- (च) वानिकी;

(ii) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का जान।

पदोन्नित द्वारा-मण्डलीय वन्य प्राणी निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

- (1) मण्डलीय वन्य प्राणी निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
- (11) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

परिशिष्ट ग [देखिये नियम 14(1)]

नियुक्ति शास्ति का स्वरूप शास्ति लगाने अपील क्रम पदनाय हितीय तथा संख्या प्राधिकारी के लिये सशक्त प्रधिकारी अंतिम अपील प्राधिकारी प्राधिकारी, यदि कोई हो

मुख्य बन्य सरकार प्राणी

। छोटी शास्तियां - सरकार

(i) वैयक्तिक फाईल वार्डन (आबरण पंजी पर प्रति रखते हुये चेतावनी);

(11) परिनिन्दा:

(111) पदोन्नति रोकना;

(iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंधन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यक्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वा-मित्व या नियंत्रण सरकार के पास

2 3 4

.5

6

7

है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि को पूरी या उसके भाग के वेतन से वसूली;

- (v) संचयी प्रभाव केबिना बेतनबृद्धियां रोकना ।
- 2. बड़ी शास्तियां सरकार
- (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;
- (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनित ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी

in a view

2 3 4

5

7

6

ऐसी अवनित को अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनित उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थिगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;

(viii) निम्नतर वेतनमान

ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनीत जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया

था पदोन्नित के लिये साधारणतया रोक होगी ऐसा जिस

ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी

अवनत किया गया

और उसकी ज्येक्स्स संध

या सेवा प

वेतन के जा है प्राची का

ार स्थाप क

उसके विस

: जिल्ली

ix) सेवा से

क अधीत के स

मिर्डिसा गाँउ सेमा यो सन्दर्भ

> णी सरकार अधीय भा

लिये समान्यत निर्देश होगी

कि । अस्प्रम

प्राणाप्त विकास

बहा और ज्ये उस या वेत है आ के	उस पर ाली सम्बन्धी र उसकी ष्ठता तथा । ग्रेड, पद सेवा पर तन के बारे शातों सम्बन्धी तिरिक्त निदेशों	ऐसी अवनीते को अचित्र के वींगन वेतन वृद्धियां बीर्गात करेगा या नहीं और नगा ऐसी अबिद्ध की सम्मित्त पर	tise o	
और ज्ये उस या वेत है आ के	र उसकी ष्ठता तथा ग्रेड, पद सेवा पर तन के बारे शर्तों सम्बन्धी	को अयदि के दौरान वेतन वृद्धियां बरिता करेगा या नहीं और नगा ऐसी अवदि की समाप्ति पर	Sign of the sign o	
ज्ये उस या वेत है आं के	ष्ठता तथा ग्रेड, पद सेवा पर तन के बारे शर्तों सम्बन्धी	वीपन वेतन व्यवसां वर्णित करेगा या नहीं और नगा ऐसी अविदे की समस्ति पर	Esta de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del l	<i>≯</i>
ज्या उस या वेत है आ के	ग्रेड, पद सेवा पर तन के बारे शर्तों सम्बन्धी	वृत्तिवयां वांगीत करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवांके की समाध्ति पर	erselle li licetur d d rismante	À.
उस या वेत है आ के	सेवा पर तन के बारे शर्तों सम्बन्धी	या नहीं और क्या ऐसी अचीच की समाध्ति पर	110041 2180921 11809	
या वेत है आ के उस	ान के बारे शर्तों सम्बन्धी	क्या ऐसी आग्रीद की समाध्ति पर		
वेत है आ के उस	शर्तों, सम्बन्धी	की समाध्यि पर		
ह आं के उस				
के उस	तिरिक्त निदेशों			
क उस		ऐसी अवनारि उसकी		
उस	साथ या	भाषी वेतन बुद्दियां		
	सके बिना होगा;	्राक निज्ञ समित		
(viii) अ	निवार्य सेवा	प्रभाव रखना		
	नवृति ;	य गर्ध ;		
(ix) से	वा से हटाया	निम्नतर चेतनमान	(Hiv)	
2	जाना जो सरकार	ग्रेड, पद या		
		सेवा पर ऐसी		
and the street couldness of	नियोजन के लिये	अवनीते जो सरकारी		
	निरईता नहीं होर	कर्मवारी के ; ति		
		उस समय वेतममान		
	जो सरकार के	मेड, पद या		
	अधीन भावी	सेवा पर जिल्लो		1
	नियोजन के	वह अवस्त किया गया		
	लिये सामान्यतः	मं, कीन्तिम १४		
	निरर्हता होगी।	तिये साधारणतया		
		रोक होनी ऐसा मिस		
ग्रुप ख	->	प्रशासनिक सर	कार -	•
•	- 10 - 1-	THE TEST TESTING		
वन्य (i)		विश्वित क्रिक्स		
प्राणी अधिकारी	आचरण पंजी पर प्रति	अवस्त विद्या प्रमा		

2 रखते हुये चेतावंनी ; जानाई की माह (ii) परिनिन्दा; क्रिक्ट ह पदोन्नति के जागर क्रिनंड (v) (iii) रोकना; नहाई मन्ही (iv) आदेशों की ा किका कि कि अपेक्षा या 2. बडी चारितयो : 可萨斯 उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार हाग्यू क्रिन्हें (lv) या राज्य सरकार फिक्कीह लाई को या ऐसी कम्पनी, संगम उन्हें कि कि (liv) तथा व्यष्टि कि कि कि निकाय चाहे 🥻 हामहाभूक वह निगमिता हो कार जानगरी या नहीं जिसका 😥 हिल्ल पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या - म्हार की एउडिए नियंत्रण सरकार के जिल्हा के पास है यान जीनगढ़ छिएं संसद या राज्याग्री के जीवाद विधान मण्डल 1938 मार्ज के अधिनियम हारा कि विकि स्थापित किसी अन और किन स्थानीय प्राधिकरण निगर छन् या विश्वविद्यालय 💯 🖼 को हुई धन की एक छिए सम्बन्धी हानि की

BEEF TEEF

2 3

4

5

6

7

भाग के वेतन से वसूली;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन बृद्धियां रोकना ।

2. बड़ी शस्तियां :

सरकार

सरकार

(v1) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;

किसी विनिर्दिष्ट (vii) अवधि के लिये समयमान में जीन प्रातनी निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे किस्ता कि अतिरिक्त निर्देशों सहित कि .क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनित को अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि को समाप्ति पर ऐसी अवनित् उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित

2

3

6

करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;

(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पर या किल क्रीक औ सेवा पर ऐसी अवनित जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिये साधारणतया रोक होगी ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे है शर्ती सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा:

अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः

निरर्हता होगी किए 13 15 है

रोक होगी ऐसा
पद अथना ग्रेस पद अथना सेवा
ने सरकारी वर्मचारी
वानत किया, ग्रथा
वा उस पर
वा उस पर
वहाली सम्बन्धी
वीर उसकी ज्येण्डला
तथा उस ग्रेड,
वेतन के बार

, तर्मह किस होगा ,

HARYANA F SAIST ARTMENT TEANSIATION TEANSIATION WILDLIFE P[(2) 14 APRIL | ARTMENT

आदेश का स्वरूप आदेश करने अपील द्वितीय तथा अंतिम अपील क्रम संख्या अलव बता १० व्याच्यक ता के लिये १०० प्राधिकारी प्राधिकारी, यदि कोई हो conferred by the proviso to artifary 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana haresy makes the following rules regulating the recruitment and Shellkons of service of persons Service, Executive a (Groups A and AGroup B) Service, (998. 1 PART I-GENERAL Short title and startments । . मुख्य वन्य (i) पेंशन को सरकार ्प्राणी वार्डन कर्मानेयांत्रेत करने elles ed yem selur esedt (1) .1 Preservation Department, State Service, की मिमों ने वालें नियमों के . estvice State Group B) Service Rules, 1998. वन्य प्राणी अधीन उसे ावार्डन रे अनुज्ञेय, सामान्य/ारा one into come date of प्राची publication in the Official Cazette. अतिरिक्त पेंशन Definitions. की राशि से 2. In these raies, unless the context howelhase requires, --या रोकना; (a) "Administrative Secretary" means Secretary to Covernment, Haryana, Wildlife Preserv-增配 (App (ii)ment:-(b) "Chief Wildlife Warden" mean in a la lidlife Warden. tensyzeH नियम आयु alldud के होने से services "Commission" means the Har भुप् ख vinded अन्यथा नियुक्ति 'asbraw ellibiliw leldo vinged' ा. मण्डीय वन्य अव की समाप्ति । ववक कतक्पाकी तकारकण कोर्डारा प्राणी अधिकारी lanoistvid edt snaam "tebillo ellibilly lanoistvid" Wildlife Officer appointed as such by the Government; "direct recruitment" means an appointment made to solves and minister most notioners, the Gallain selvents to the service of any State Government) आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, चण्डीगढ ।

[Authorsied English Translation] HARYANA GOVERNMENT

WILDLIFE PRESERVATION DEPARTMENT

Notification

No. G.S.R.139/Const./Art.309/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service, 1998, namely :--

PART I-GENERAL

Short title and commencement.

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,--
- (a) "Administrative Secretary" means Secretary to Government, Haryana, Wildlife Preservation Department;
- "Chief Wildlife Warden" means Chief Wildlife Warden, (b) Haryana;
- services Public Haryana "Commission" means the (c) Commission;
- (d) "Deputy Chief Wildlife Warden" means the Deputy Chief Wildlife Warden, Haryana appointed as such by the Government;
- (e) "Divisional Wildlife Officer" means the Divisional Wildlife Officer appointed as such by the Government;
- (f) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, यणकीगढ ।

- (g) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (h) "institution" means ;-- habited to design to
- (i) any institution established by law inforce in the State of Haryana; or
- (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (i) "post graduate diploma" means the Post Graduate Diploma Course in Wildlife Management conducted by Wildlife institute of India, Dehradun;
- (j) "recognized University" means,--
 - (i) any university incorporated by law in India; or
- (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
- (iii) any other university which is declared by Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
- (k) "Service" means Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service; rose thew are enw secreptor and poled

medical track to look

Number and character of posts:

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix. A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is, --
- (a) a citizen of India; or

- (b) a subject of Nepal; or more and evidence in the
- (c) a subject of Bhutan; or golden "nolindlent" (n)
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of India origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the Unite Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethipoia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour of a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

I. The Service shell comprise the posts shown in Appendix

5. No person shall be appointed to any post in Group A Service by direct recruitment who is less than twenty five years and more than forty five years of age and no person shall be appointed to any post in Group B Service by direct recruitment who is less than twenty one years and more than thirty five years, on the last date of submission of application to Commission.

Appointing authority 1 to respense bus silving authority 1

- 6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

 Oualifications:
- 7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience

specified in column 3 of the Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, other backward classes, ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications :

- (2) All promotions, unless otherwise provided, signade on seniority-cum-merit basis and seniori, norsequoNe..8
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or noisect
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

- 9. (1) Recruitment to the Service shall be made, --
- (a) in Group A case of Chief Wildlife Warder, --
- ed Mara (i) by promotion from amongst Deputy Chief Wildlife more on an Warden; or many bottom as beneather
- (ii) by transfer or deputation of Chief Conservator of Forest in Forest Department;
 - (b) in case of Deputy Chief Wildlife Warden, --
- (i) by promotion from amongst Divisional Wildlife Officers; and
- (ii) by direct recruitment; or gozzag doue is (a)

- (iii) by transfer or deputation of Deputy Conservator of Forest, Extra Assistant Conservator Forest/ Assistant Conservator Forest or Deputy Conservator Forest in the Forest Department;
- (c) in case of Divisional Wildlife Officer,--
- (i) 50% by promotion from amongst Divisional Inspector Wildlife; and
- polarized (ii0 50% by direct recruitment; or 9 bas demontated a
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of the State Government or the Government of India.

person having a spouse living or

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions. (a) who has entered into or contr

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that, -- were terminated and test beliver9

- matriage is permissible angle the personn (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation; and to make a go
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, --
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and

- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--
- anadment (i) revert him to his former post; or behiver
- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory,--
- (ii) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
- (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointment against a temporary vacancy; or
- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanant vacancy;
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, has not satisfactory,--
- (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed, on the expiry of the first period or probation:

Provided that the period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority, interse of members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointment by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:--

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be some senior to the member appointed by promotion or by transfer; year vironius paintogas and notice.
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a need note member appointed by transfer; allow aid it (a)
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointments; and if the rates of pay drawn are also the same, then by length of their Service in the appointment and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve : 11 . solvies eld dilw senagaib (1)

- 12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
- under,--
- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international Organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters :

matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14. (1) In matter relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause, (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Waccination :

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or re-vaccinated, as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unles he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to

recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provisions : Tayling a to inampraved and ve

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the orders of appointment, if it is deemed expedient to do so

Reservations :

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category or persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50%, at any time. Repeal and Savings:

20. Any rules applicable to the Service and corresponding to any of these rules which are in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed: or Lules made under erticle 308 of the Constitution

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have ben made or taken under the corresponding provision of thses rules. The congram on to 2 sing to (1) of the Harymon (a) see the Harymon Civil

Services (Puntshapet and Appeal) Rules, 1987 and the appoints authority shall be to the appendix of these culter,

the dwarf and animal college of the teams to the start of

it same maintee and to at the eleves and assemble black of engages you rebus vid : were it too of the bedge to vice engage

APPENDIX-A

[See rule 3]

Sr. No.	experience if any, for			r of post		Scale of pay
-	appointment other than Cadirect recruitingnt	Permar	ient	Temporal	ry Total	
1	2"2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"	3		4	5	6
. t	GROUP-A				\$	1
1.	Chief Wildlife Warden, Haryana			1	1	Rs. 5,9002006,700
					A-quora	
2.	Deputy Chief Wildlife Warden, Haryana	l Drg vä			1	Rs. 3,000100 3,5001254,500
	Post Graduate Biploma in					time scale upto 5 years and thereafter
uty.	8 years experience as Dep Chief Wildlife Warden. By Transfer B-9UORD					Rs. 3,7001254,700 1505,000
2426	Divisional Wildlife to nA Chief Conservator of the Forest Department of			1	,	Rs. 2,000602,300 EB753,200100 3,500 time scale upto 5 years and after five years Rs. 2,200
	notions	By pro		egrae in	I Master's D	752,800EB100
9	B.Sc. with any two of the	(1)	15	pricultors	Zoplogy/Ag	4,000 Habrek attibite
	tollowing subjects :- (a) bottony (b) Loology (c) Chemistry (d) Physic (e) Forestry (r) Adrical and			wildlife (nstitute	50% marks 60% marks degree in Wildlife 1 India, Del	
Teol	5 years experience as Divisional wildlife Off	(11)			apbalmona (†) apka Nakr	n.
	ansfer-	By tr				
	rs experience as Extra As Conservator of Forest/ tant Conservator Forests t Department.	tant				
	y Conservator of Forests			. ,	2.*	

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), DEC. 15, 1998 (AGHN 24, 1920 SAKA)

APPENDIX-B

[See rule-7]

Designation of posts

Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment

Academic qualifications and experience if any, for appointment other than by direct recruitment

2

3

Chief Wildlife Warden,

Deputy Chief Wildlife

Rs. 5,900--200--6,700

Group-A

1. Chief Wildlife ...

time scale upnebrakare

and thereafter

Rs. 3,000--100-

150--6,000

Rs. 2,000--60--2,300--S,500 time scale upto

Rs. 3,700--125--4,700--

five years Rs. 2.200--

5 years and after

Wildlife Warden

- 2. Deputy Chief (i) Master's Degree in Zoology/Agriculture/ Foresty with at least 50% marks or M.Sc. degree in wildlife from Wildlife Institute of India, Dehradun;
 - (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard

By promotion -- analysa meansw

- (i) Post Graduate Diploma in Wildlife Management; and
- (ii) .8 years experience as Deputy Chief Wildlife Warden. By Transfer

An officer of the rank of Chief Conservator of Forests from the Forest Department.

By promotion --

- (i) B.Sc. with any two of the following subjects :--
 - (a) Botany (b) Zoology
 - (c) Chemistry (d) Physics
 - (e) Forestry (f) Agriculture, and
- (ii) 5 years experience as Divisional Wildlife Officer

By transfer--

8 years experience as Extra Assistant Conservator of Forest/ Assistant Conservator Forests from Forest Department.

or .

Deputy Conservator of Forests from Forest Department.

1	2 D-KEGNBASA		3		0	
	Group-B					
Divisional Wildlife Officer	(i) Bachelor's degree with any two of the following subjects:- (a) Botany (b) Zoology	5 y Ins	By promotion stangted to 5 years service as Divisional Inspector Wildlife By transfer or deputation			
į , , ,	<pre>(c) Chemistry (d) Physics (e) Agriculture (f) Forestry;</pre>		5 years ex Divisional	periènce as Inspector	ī	
Znamnyakod	, and the standard .		Wildlife; Knowledge Matric sta	of Hindi upt	٥.	
) Warning with	1)		Deques Chia		
	a copy on the personal file; [Cheractur roll]			Wildlife Warden		
	f censure;) witchholding of					
	promotion; recovery from pay of the	v1 }				
	whole or part of any pocuniary loss caused by					
	nepligence on breach of orders; to the Central					
	State Government or State Govern-					
2	Company exa-					
	a body of fndividuals whether incorpor-					
	ated or not: which is wholly or substantially					
	owned or control- led by the Sovern-					
	ment or to a local authority or university set up					

3.1

APPENDIX-C

[See rule 14(1)]

Sr. Designation Appointing Nature of Penalty Authority. Appellate Second and empowered ' No. of posts authority authority final ons to ows to impose b years service, as Divisional appellate -: ziasiduz Popenalty authority, inspector Wildlife if any (a) Sotany (b) Zoology By transfer or deputation

(i) 5 gyears experiesce as 1 6 7 (a) Agricultura

Group-A

- (11) Knowledge of Hinds 1. Chief Wild Government Minor Penalties -- Government Government life Warden State 31 1351
- Deputy Chief Wildlife Warden.
- (i) Warning with a copy on the personal file; [Character roll]
- (ii) censure;
- (iii) withholding of promotion;
- (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders. to the Central Government or State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or

university set up

1 1 2 3 3 3 4 5 8 6 5 7

by an Act of Parliament or of the Legislature of a State;

(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;

Major Penalties --

(v-a) withholding of Government
 increments of
 pay with cum ulative effect;

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his : apay; even end

(vii) reduction to a lower scale

1 7 2 8 3 8 4 4 5 8 6 5 /

of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the (V) promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

- (viii) compulsory
 retirement;
 - (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;
 - (x) dismissal from service which

4017

1 7 2 3 3 4 4 5 6 5 7

shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

Group-B

Divisional Wild- Government life Officer

MINOR PENALTIES: Administera- Government tive

- (i) Warning with a Secretary copy on the personal file;
 [Character roll]
- (ii) censure;
- (iii) withholding of promotion;
- (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act

1 2 3 7 of Parliament

or of the Legislature of a State;

(v) withholding of increments of pay without Assumption of the state of the

replife Officer

of Divisional Wild- Government

effect:

MAJOR PENALTIES: Government Government

(v-a) withholding of increments of pay with cumulative effect;

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; 001 6 01

(vii) reduction to a lower scale 2

3

4

5

6

7

of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such resotration to that grade, post or service;

(viii) compulsory
 retirement;

(ix) removal from
 service which
 shall not be
 a disqualifica tion for future
 employment
 under the
 Government;

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), DEC. 15, 1998 (AGHN 24, 1920 SAKA)

1 2 3 4 5 6 7

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

time scale of pay, grade, grade, grade, from which he with or with with or with requireding directions conditions of rescuration to the grade or service payed and payed and such rescured; and such resorts and pay on that service; grade, post or service; grade, post or service; grade, post or service;

retirement;
(1x) removal from
Service which
shall not be
a disqualifit
thom for futur
exployment

; dosantovož

APPENDIX-D

[See rule 14(2)]

~. ~o.	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority	Second and final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6
	GROUP-A:				
1.	Chief Wildlife Warden	(i) reducing or withholding the amount of	Government	Government	t Government -
2.	Deputy Chief Wildlife Warden	ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;			
	GROUP-B:	(ii) terminating the			
1.	Divisional Wild- life Officer	appointment otherwise than on his attain- ing the age fixed for superannuation			

H.C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Wildlife Preservation Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अगस्त, 2013

संख्या साठकाठिन 19/संविठ/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप के तथा ख) सेवा नियम. 1998. (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में. खण्ड (ग) में, उप-खण्ड (i) में ''मण्डलीय'' शब्द का लोप कर दिया जायेगा।
- ' 3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर. निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)

क्रम	पदनाम	पद	ों की संख्या		वेतनमान		
संख्या		रथायी	अस्थायी	जोड़			
. 1	2	3	Bergie 4	5	region in 6 area Marcan		
ग्रुप क							
1.	मुख्य वन्य प्राणी वार्डन			1	उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान ₹ 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%) ₹ 79000		
2.	उप मुख्य वन्य प्रार्ण वार्डन	1 1		1	पी०बी०-3 : ₹ 15600-39100+		
ग्रुप ख ं 3.	मण्डलीय वन्य प्राण	गे 2	1	3	पी०बी०-2 : ₹ 9300-34800+		
"	अधिकारी				₹ 4600 ग्रेड वेतन"।		

- उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,—
 - (क) "ग्रुप क" शीर्ष के नीचे,---
 - (I) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना 4 के नीचे, "स्थानान्तरण द्वारा" शीर्ष के नीचे, मद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
 - "(i) वन विभाग से मुख्य वन संरक्षक की पदवी का कोई अधिकारी;
 - (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत";
 - (II) क्रम संख्या 2 के सामने :--
 - (i) खाना 3 के नीचे, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 - "(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत";
 - (ii) खाना 4 के नीचे, "स्थानान्तरण द्वारा" शीर्ष के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
 - ''(i) अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;

अथवा

वन विभाग से उप वन संरक्षक ; तथा

- (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;"।
- (ख) "ग्रुप ख" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 1 के सामने,---
 - (I) खाना 3 के नीचे, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 - "(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत";
 - (II) खाना ४ के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :---

"पदोन्नति द्वारा---

वन्य प्राणी निरीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभवः स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—

- (i) वन्य प्राणी निरीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
- (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।"।

रमेन्द्र जाखू, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार. वन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 20th August, 2013

- No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service Rules, 1998, namely:—
- 1. These rules may be called the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service (Amendment) Rules, 2013.
- 2. In the Haryana Wildlife Preservation Department, State Service, Executive (Group A and Group B) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), in clause (c), in sub clause (i), the word "Divisional" shall be omitted.
- 3. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely:—

"APPENDIX-A

(See rule 3)

S.	Designation of Posts	Nui	mber of Pos	sts	Scale of pay	
No.		Perma- nent	Tempo- rary	Total		
_1	2	3	4	5	6	
Gro	oup-A	476				
1.	Chief Wildlife Warden	1		1	Higher Administrative Grade Scale ₹ 67000 (Annual increment 3%) 79000	
2.	Deputy Chief Wildlife Warden	1	in department in extensi	1	PB-3 ₹15600-39100+₹6000 Grade Pay	
Gro	up-B					
3.	Divisional Wildlife Officer	2	1	3	PB-2 ₹9300-34800+₹4600 Grade Pay".	

- 4. In the said rules, in Appendix-B,-
 - (a) under heading "Group A",-
 - (I) against serial number 1, under column 3, under heading "By transfer", the following items shall be substituted, namely:—
 - "((i) An officer of the rank of Chief Conservator of Forests from the Forest Department;
 - (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education".
 - (II) against serial number 2,-
 - (i) under column 2, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—
 - "(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education";
 - (ii) under column 3, under heading "By transfer", for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
 - "(i) Eight years experience as Extra Assistant Conservator of Forest/Assistant Conservator of Forest from Forest Department;

or

Deputy Conservator of Forests from Forest Department; and

- (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.";
- (b) under heading "Group B", against serial number 1,-
 - (I) under column 2, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—
 - "(ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education";
 - (II) under column 3, the following entries shall be substituted, namely:—

"By promotion-

10 years experience as Inspector Wildlife;

By transfer or deputation-

- (i) 10 years experience as Inspector Wildlife;
- (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.".

RAMENDRA JAKHU,

Additional Chief Secretary to Government Haryana, Forest Department.

51412-L.R.-H.G.P., Chd.